भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2381

सोमवार, 3 अगस्त, 2026/12 श्रावण, 1948 (शक)

कामगार सुरक्षा और कल्याण उपाय

†2381. श्री श्यामकुमार दौलत बर्वे:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ठेका, प्रवासी और गिग कामगार सहित कामगारों को कानूनी रूप से प्रदान किए जाने के लिए अधिदेशित कल्याण, स्वास्थ्य और सुरक्षा सुविधाओं का ब्यौरा क्या है और सुरक्षा प्रशिक्षण, चिकित्सा सुविधाओं, सुरक्षा उपकरणों, आवास, बीमा और इसके अधीन प्रदान की जाने वाली किसी अन्य सुविधा का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई आकलन किया है कि नियोक्ताओं और प्रतिष्ठानों द्वारा उक्त सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ग) यदि हां, तो उक्त वैधानिक अधिदेश का अनुपालन करने वाले और अनुपालन न करने वाले पाए गए प्रतिष्ठानों/उद्योगों आदि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने यह पता लगाने के लिए कोई आकलन किया है कि ठेका, प्रवासी और गिग कामगार सहित कामगारों की सुरक्षा के लिए प्रदान की गई या अधिदेशित सुविधाएं पर्याप्त हैं या नहीं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने औद्योगिक दुर्घटना, चोट और मृत्यु को कम करने के उद्देश्य से उक्त अधिदेशों के अनुपालन में सुधार करने के लिए किसी नीति या उपाय का प्रस्ताव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ङ) सरकार ने किसी प्रतिष्ठान में नियोजित व्यक्तियों, जिनमें अनुबंध और प्रवासी कामगार शामिल हैं, की सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थितियों को विनियमित करने तथा उससे जुड़े या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए 'उपजीविकजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (ओएसएच एंड डब्ल्यूसी) संहिता, 2020' को अधिनियमित किया है, जो दिनांक 21.11.2025 से प्रवृत्त हुई है। केंद्र सरकार ने दिनांक 08.05.2026 को ओएसएच एंड डब्ल्यूसी (केंद्रीय) नियम, 2026 को अधिसूचित

किया है। ओएसएच एंड डब्ल्यूसी संहिता, 2020 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत 'उपजीविकजन्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, दंड और प्रक्रियाओं आदि से संबंधित विस्तृत प्रावधान किए गए हैं।

ओएसएच एंड डब्ल्यूसी संहिता, 2020 नियोक्ता को यह सुनिश्चित करने के लिए सशक्त बनाती है कि कार्यस्थल ऐसे खतरों से मुक्त हो जो चोट या व्यावसायिक बीमारी का कारण बनते हैं या बन सकते हैं। इसके अलावा, ओएसएच एंड डब्ल्यूसी (केंद्रीय) नियम, 2026 के तहत कल्याणकारी उपबंधों के संबंध में पीने के पानी, कैंटीन की सुविधा, शौचालय, आश्रय और विश्राम कक्ष आदि जैसे विस्तृत उपबंध हैं। इस नियम में कुछ स्थापनों में चालीस वर्ष की आयु पूरी कर चुके कर्मचारियों के लिए मुफ्त वार्षिक स्वास्थ्य जांच का भी प्रावधान किया गया है।

यथास्थिति, मालिक या अधिभोगी या नियोक्ता के लिए ओएसएच एंड डब्ल्यूसी संहिता, 2020 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन करना अनिवार्य है। कारखानों के मामले में, ओएसएच एंड डब्ल्यूसी संहिता, 2020 और उसके अधीन बनाए गए नियमों को संबंधित राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लागू किया जाता है। ओएसएच एंड डब्ल्यूसी संहिता, 2020 के तहत अधिसूचित मुख्य निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता / निरीक्षक-सह-सुविधाप्रदाता को संहिता या उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के उल्लंघन के मामले में अधिभोगी या नियोक्ता या मालिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार है।

सामाजिक सुरक्षा संहिता (सीओएसएस), 2020 में 'गिग कामगारों की परिभाषा दी गई है। गिग कामगार पारंपरिक नियोक्ता-कर्मचारी संबंधों से बाहर होते हैं। सामाजिक सुरक्षा संहिता में गिग कामगारों और प्लेटफॉर्म कामगारों के लिए जीवन और निशक्तता कवर, दुर्घटना बीमा, स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा, वृद्धावस्था संरक्षण आदि से संबंधित मामलों पर उपयुक्त सामाजिक सुरक्षा उपाय तैयार करने का उपबंध है। इस संहिता में इन कल्याणकारी योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक सामाजिक सुरक्षा कोष स्थापित करने का उपबंध है। इस संहिता में गिग कामगारों के कल्याणार्थ एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड के गठन का भी उपबंध है।
